

अनुस्मारक

61-11012/5/2015-एवं-प्रति(1)

तत्काल

भारत सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

12वाँ तल, पर्यावरण भवन,
सीजीओ काम्प्लैक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली, 110003
दिनांक- 02.08.2016

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव,
प्रभारी ग्रामीण स्वच्छता, सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
(तेलंगाना, उत्तराखण्ड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश को छोड़कर)

विषय: वर्ष 2015-16 के लिए लोक लेखा समिति (2015-16) द्वारा परीक्षण हेतु अतिरिक्त विषयों का चयन।

महोदया/महोदय,

मुझे मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध इस मंत्रालय के दिनांक 20.01.2016 के संसंख्यक पत्र और उपर्युक्त विषय पर श्री नन्द किशोर जोशी द्वारा ई-मेल के माध्यम से भेजे गए अनुस्मारकों का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है।

2. उपर्युक्त के संदर्भ में अनुरोध है कि मौखिक साक्ष्य के माध्यम से परीक्षण के दौरान समिति द्वारा मांगी जाने वाली अपेक्षित सामग्री/रिकोर्डों को तैयार रखें।

3. अब यह सूचित किया जाता है कि इस संबंध में अब तक आपके राज्य के संबंध में सूचना प्राप्त नहीं हुई है। अतः यह समझा जाएगा कि अपेक्षित सामग्री/रिकार्ड (उत्तर/टिप्पणियाँ/एटीआर) तैयार किए जा चुके हैं। तदनुसार अनुरोध है कि तत्काल अपने राज्य से संबंधित बिंदुओं पर उत्तर/टिप्पणी/एटीआर को इस मंत्रालय को भिजवाने की व्यवस्था करें।

संलग्न:- यथोक्त

भवदीय,


(सुनील कुमार)

अवर सचिव(एसबीएम)

Sunil.kumar@nic.in

प्रति: एसबीएम(जी) राज्य समन्वयक, सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

प्रति प्रेषित:-

1. तकनीकी निदेशक(एनआईसी)-मंत्रालय की वैबसाइट पर डालने के लिए।